न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 259/2020

1. रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. चुनीलाल पुत्र खमानाराम जाति जाट निवासी रासलाल त0. भादरा।
2. राजबाला पुत्री चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
3. कमलेश पुत्री चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजां रासलाना के खाता सं0 75/65 के खसरा सं0 150 की 4.5910है0, खसरा सं0 154 की 11.1410है0 कुल 15.7320है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 चुनीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में प्रतिवादी सं 1 चुनीलाल का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामरतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 259/2020

1. रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।

:- **वादी**

ब ना म

1. चुनीलाल पुत्र खमानाराम जाति जाट निवासी रासलाल त0 भादरा।
2. राजबाला पुत्री चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
3. कमलेश पुत्री चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**
वकील श्री रोहताश शर्मा : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 18-01-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 75/65 के खसरा सं0 150 की 4.5910है0, खसरा सं0 154 की 11.1410है0 कुल 15.7320है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 चुनीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता खमानाराम की खातेदारी हुआ करती थी। खमानाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 चुनीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगंण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया [illegible] वादी 4 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी [illegible] पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः [illegible]

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रासलाना संवत 2075-78 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी रोही रासलाना प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रासलाना प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को ... हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें ... जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड ... होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक ...नामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये ... हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में चुनीलाल के एक पुत्र रामरतन व दो पुत्री कमलेश व राजबाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 75/65 के खसरा सं0 150 की 4.5910है0, खसरा सं0 154 की 11.1410है0 कुल 15.7320है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 चुनीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में प्रतिवादी सं 1 चुनीलाल का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 75/65 के खसरा सं0 150 की 4.5910है0, खसरा सं0 154 की 11.1410है0 कुल 15.7320है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 चुनीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज में प्रतिवादी सं 1 चुनीलाल का नाम कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामरतन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner